# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—385/2015/223 (2015/00088)**

1. मांगीलाल उर्फ मांगूनाथ पुत्र चुनानाथ, जाति कालबेलिया,
2. रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगूनाथ, जाति कालबेलिया,
   निवासी ओंकारपुरा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. वरिष्ठ क्षैत्रीय प्रबंधक, रीको वैशाली नगर, अजमेर ।
2. सहायक प्रबंधक, रीको वैशाली नगर, अजमेर ।
3. जिलाधीश, अजमेर ।
4. तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 13.7.2015 अंतर्गत वाद संख्या 48/2013.**

**उपस्थितः—**

1. श्री राजेन्द्र प्रजापत, वकील अपीलांटस।
2. श्री पी0गण्डेविया, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

## निर्णय

**दिनांकः— 29.5.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ओंकारपुरा तहसील केकड़ी स्थित खाता संख्या 1 के पुराना खसरा नंबर 517 मिन रकबा 144 बीघा 5 बिस्वा स्थित थी जिसके अन्य खरसरा नंबर के साथ नया खसरा संख्या 479 रकबा 3.78 है0 बनाया गया । उक्त खसरा नंबर 479 में से करीब 10 बीघा भूमि पर वादीगण पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जे काश्त में चले आ रहे है । वादीगण द्वारा उक्त रकबे पर हमेशा से ही काश्त की जाती रही है । वादीगण का पुराना कब्जा काश्त होने से वादीगण विवादित भूमि के कानूनन खातेदार हो गये है किन्तु प्रतिवादीगण वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.7.2015 द्वारा वाद खारिज करने के आदेश पारित किये।

अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 479 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा पर अपीलांटस का पिछले 50 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा निरन्तर काश्त की जाती रही है । अपीलांटस को पुराने कब्जे काश्त के आधार पर कानूनन स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बह समें आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 में वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था किन्तु तहसीलदार, द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया । नियमानुसार दावा व जवाबदावा के आधार पर तनकमी का निर्माण कर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रतिकूल वाद निर्णित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना कैम्प टाकावास में वाद को खारिज किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे को आधार मानकर वाद खारिज किया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम विवादित भूमि आंवटन होने से पूर्व के संबंध मे वादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं व साक्ष्यों के बारे में केवल मात्र तहसीलदार ही जवाब प्रस्तुत कर सकते थे, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस संबंध में कोई अधिकार नहीं था । चूंकि वादीगण ने अपना अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को किये गये भूमि आवंटन से पूर्व से ही कब्जा काश्त होने का आधार माना है जिसके संबंध में तहसीलदार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर जवाबदावा प्रस्तुत करने पर वादी का वाद स्वीकार योग्य बनता था । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को जो भूमि आवंटित की गई है वह आवंटन योग्य नहीं थी तथा न ही विवादित भूमि का कब्जा कभी अपीलांटस से लिया गया है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर कैम्प कोर्ट में वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 के ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि थी इसी कारण विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को औद्योगिक प्रयोजनाथ दी गई है । वर्तमान में विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में स्टेट इन्डस्ट्रीज एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि0 अजमेर के नाम दर्ज है । विवादित भूमि से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 4 ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलांटस निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम रेस्पो0 द्वारा धारा 96

जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के अभाव में अपील संधारण योग्य नहीं होने बाबत् किये गये ऐतराज का निर्णय किया जाना उचित समझते है । इस संबंध में उभयपक्ष की बहस एवं प्रस्तुत कानूनी दृष्टांतों के आधार न्यायालय का यह विनम्र मत है कि यदि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का हित निहित है तथा अधी0न्याया0 में उन्हें जवाब दावा एवं सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हुआ है तो समुचित न्याय हेतु बिना धारा 96 जा0दी0 के आवेदन के भी अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये । चूंकि वर्ष 2016 में अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील को दर्ज किया जा चुका है तथा अपील के ग्राउण्ड में वादग्रस्त आराजी में अपीलांट की हितबद्धता बाबत् तथ्यों को उल्लेख कर दिया गया है तथा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी में भी अपीलांट की हितबद्धता प्रथमदृष्टया जाहिर होती है । ऐसी स्थिति में कानूनी दृष्टांत आर0आर0डी0 1995 पेज 179 के तथ्य प्रकरण में चस्पा होते है तथा इसके प्रकाश में अपीलांट को धारा 96 जा0दी0 के आवेदन के बिना अपील प्रस्तुत करने की न्यायहित में अनुमति दी जाती है । इस संबंध में रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा जो कानूनी नजीर पेश की गई है वह प्रकरण के तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है । चूंकि अपीलांट की अपील को वर्ष 2016 में ही दर्ज किया जा चुका है तथा अपीलांट ने धारा 96 जा0दी0 के आवेदन बाबत् समस्त तथ्य अपने अपील मीमों में अंकित कर दिये है तथा एकबार जब न्यायालय ने उन्हें पक्षकार मानकर प्रकरण को अंतिम रूप से सुना जा रहा है तथा अधी0न्याया0 में अपीलांट को सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला है ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलांट को सुना जाने के लिये अनुमत किया जाना उचित एवं आवश्यक है ।

8. अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सदभाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि पर अपीलांटस का 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वाद को कैम्प कोर्ट में खारिज करने के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है। इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु कुल 3 तनकियात कायम की थी किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद को तनकीवार निर्णित नहीं किया है जिससे अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया है किन्तु रेस्पो0 संख्या 3 व 4 राज्य सरकार की और से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 को आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को कायम तनकियात पर साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 विधिक प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.7.2015 खारिज किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को तनकीवार गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

11. निर्णय आज दिनांक 29.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**